(100)

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

PBR/ निगरानी / बड़वानी / भू०रा / 2017 / 3508

1— सुरसिंह पिता लटू भील
2— नवलसिंह पिता गुलसिंह भील
3— श्रीमती लीलाबाई बेवा गुलसिंह भील

सभी निवासी— ग्राम भागसुर, तहसील राजपुर जिला बडवानी (म.प्र.) —— प्रार्थीगण

विरूद्ध

1— डुड़ा पिता लटू भील
2— भूरा पिता लटू भील
3— मुकेश पिता गुलसिंह भील
4— सोनु पिता गुलसिंह भील
5— पिंकी पिता गुलसिंह भील

सभी निवासी— ग्राम भागसुर, तहसील राजपुर जिला बडवानी —— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 ।

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजपुर जिला बडवानी द्वारा प्रकरण क्रमांक 56 / अ—27 / अपील / 15—16 में दिनांक 12 / 09 / 2017 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करते है :—

प्रकरण के तथ्य :—

सदर प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजपुर के समक्ष प्रार्थीगण ने ग्राम भागसुर की भूमि सर्वे न. 23 / 3, 23 / 4 कुल रकबा 0.845 हे. की भूमि प्रार्थीगण व प्रतिप्रार्थीगण के नाम पर अंकित भूमि का बंटवारा किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर तहसीलदार के द्वारा प्रकरण क्र. 33 / अ—27 / 15—16 आदेश दिनांक 14 / 7 / 2016 को स्वीकृत कर उक्त भूमि का खाता पृथक किया गया। उपरोक्त भूमि पर रेस्पाण्डेण्ट क्र. 1 व 2 का कभी भी कोई अधिकार व आधिपत्य नहीं रहा है। उन्हे उक्त भूमि पहले की पृथक रूप से प्राप्त हो गई है।

तत्पश्चात उक्त भूमि में से प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि का अधिग्रहण शासन द्वारा **लोअर गोई परियोजना** के अंतर्गत किया गया, तथा उक्त आधार पर वर्तमान में उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में ना तो प्रार्थीगण के नाम पर अंकित है और ना ही प्रतिप्रार्थीगण के नाम।

लोअर गोई परियोजना के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण हो जाने तथा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को प्राप्त हुआ। उक्त आधार पर रेस्पाण्डेण्ट के मन में बदयांति आ जाने से नायब तहसीलदार के द्वारा पारित बंटवारा को रेस्पाण्डेण्ट क्र. 1 व 2 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जो प्रकरण क्र. 56 / अ—27 / अपील / 15—16 पर दर्ज हुई।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बडवानी/भूरा/2017/3508

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	